

**न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बुलन्दशहर,
उत्तर प्रदेश, भारत,**

फौजो वाद संख्या—
राज्य बनाम

५९५ रन् 2021

श्री राहुल उपाध्याय,
जिला शासकीय अधिकारी (फौजो),
जनपद बुलन्दशहर, उत्तर प्रदेश, भारत.

अन्तर्गत धारा-323, 504 व 228 भा०द०सं०
थाना कोतवाली नगर, जिला बुलन्दशहर

महोदय,

श्री नवनीत कुमार शर्मा, सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजो), बुलन्दशहर द्वारा दिनांक 03.12.2020 को प्राप्तनाम पत्र अन्तर्गत धारा-195(1)(बी) सपष्टित धारा-340 दं० प्र० सं० में प्रत्युत किया गया कि दिनांक 15.11.2020 को मानो न्यायालय विशेष न्यायाधीश (पाक्सो अधिकारी) बुलन्दशहर के विशेष लोक अभियोजक श्री सुनील कुमार शर्मा अवकाश पर थे। उक्त न्यायालय में उनके अवकाश पर होने के कारण विद्वान् पीठासीन अधिकारी ने मानो उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के अनुसार बुलन्दशहर नुसार त्वरित निर्तारण हेतु नियत पत्रावली राज्य बनाम विकास, विशेष वाद संख्या-3717/2018 अन्तर्गत धारा-376डी भा०द०सं० एवं पाक्सो अधिकारी अरनियों, जिला बुलन्दशहर में विवेचक श्री डी०पी० सिंह साक्ष्य हेतु मेरठ से उपरिथित हुए हैं, उनकी साक्ष्य अंकित करा दें, क्योंकि श्री सुनील कुमार शर्मा विशेष लोक अभियोजक (पाक्सो अधिकारी) की आज वेठी की शादी है, इसलिए वह आज अवकाश पर हैं। प्रार्थी ने मानो जज साहब के आदेशानुसार विवेचक महोदय श्री डी०पी० सिंह जो मेरठ से आये थे वे बयान बचाव पक्ष के विद्वान् अधिवक्ता व मानो जज साहब को उपरिथित लिखाना प्रारम्भ कर दिया, तभी समय 2.10 बजे विद्वान् डी०जी०सी० (काईस) श्री राहुल उपाध्याय न्यायलाय कक्ष में आये और मानो पीठासीन अधिकारी के सामने ही गाली बकते हुए कहा कि श्री सुनील कुमार शर्मा व उसके बहुत दीमांग खराब हो गये हैं, वह इस कोर्ट के अन्दर कैसे आया, जब प्रार्थी ने कहा कि वह तो श्रीमान् जज साहब के आदेश से मानो उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा त्वरित निर्तारण हेतु पत्रावली में विवेचक श्री डी०पी० सिंह उपनिरी० का बयान (मुख्य परीक्षा) करा रहा है। इतना सुनते ही विद्वान् डी०जी०सी० श्री राहुल उपाध्याय ने उसकी गर्दन को पकड़ते हुए कहा मादरचोद कोर्ट के बाहर निकल, उसने क्या अभियोजन था जज साहब का ठेका ले रखा है। न्यायालय की डाईस पर रखी सम्बन्धित पत्रावली, जिसमें बयान हो रहा था, नीचे गिर गयी और विद्वान् डी०जी०सी० महोदय उसे खींचकर न्यायालय के बाहर लात घूसे मारते हुए ले गये। यह सारा वाक्या न्यायालय में उपरिथित पीठासीन अधिकारी महोदय कोर्ट मोहरिर अजय कुमार, पेशकार राम किशन, अर्दली नाजिम तथा साक्षी एस.आई. डी.पी. सिंह व श्री विनय कुमार शर्मा एडवोकेट बचाव पक्ष ने अपनी ओर से देखा व सुना।

५११२१

विद्वान डी०जी०सी०(फौज०) श्री राहुल उपाध्याय द्वारा प्रार्थी के साथ भरी अदालत में बुरी तरह मारपीट की गयी। वहाँ मौजूद लोगों व मान० न्यायालय में उपस्थित पुलिसकर्मियों ने प्रार्थी को डी०जी०सी० से बचाया, नहीं तो डी०जी०सी० महोदय प्रार्थी को जान से मार देते। विद्वान डी०जी०सी० (काईम) द्वारा की गयी मारपीट से प्रार्थी को चोटें आयी। श्री राहुल उपाध्याय डी०जी०सी० (फौज०) बुलन्दशहर ने जानबूझकर न्यायालय में अदालत की अवमानना की है और सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न की तथा उसके साथ बुरीतरह मारपीट की। उसे मान० न्यायालय में श्री राहुल उपाध्याय ने धमकी दी कि उसे उसकी ताकत का अंदाजा नहीं है, वह उसे तीन दिन के अन्दर मरवा देगा। वह उसे अब नौकरी नहीं करने देगा। उसने अपने शरीर पर आयी चोटों का डाक्टरी मुआयना सरकारी अस्पताल बुलन्दशहर में कराया है। प्रार्थी विद्वान डी०जी०सी०(काईम) के उक्त कृत्य में पूरी तरह भयभीत है। इस प्रकार विद्वान डी०जी०सी० (काईम) श्री राहुल उपाध्याय न मान० न्यायालय की खुल्लम-खुल्ला अवमानना की है और विधेय कार्यवाही के दोषी है। निवेदन किया है कि उपरोक्त मामले में जॉच कर श्री राहुल उपाध्याय डी०जी०सी० (फौज०) के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही किये जाने की याचना की गयी है।

प्रार्थना पत्र उपरोक्त को फौजदारी प्रकीर्ण वाद के रूप में दर्ज कर विपक्षी श्री राहुल उपाध्याय, डी०जी०सी०(फौज०) को नोटिस जारी की गयी तथा प्रार्थी को अपने समर्थन में साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया।

विपक्षी श्री राहुल उपाध्याय, जिला शासकीय अधिकारी (फौज०) ने अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया। जिसमें कथन किया गया है कि वादी सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौज०) के पद पर कार्यरत है। जबकि उक्त न्यायालय हेतु एवं अन्य पाक्सो सम्बन्धित न्यायालय हेतु शासन द्वारा विशेष लोक अभियोजनक नियुक्त हैं, जिनके द्वारा ही पाक्सो न्यायालय में वैधानिक कार्य सम्पन्न कराया जाता है। विषम परिस्थिति में जिला शासकीय अधिवक्ता के आदेशानुसार सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी को नामित किया जाता है। कथित घटना वाले दिन उसके कार्यालय में श्री सुनील कुमार शर्मा द्वारा अवकाश का कोई प्रार्थना पत्र नहीं दिया गया। वह जब उपरोक्त न्यायालय में गया और वादी को बयान कराते हुए पाया तो उसने सरल शब्दों में श्री नवनीत कुमार शर्मा से पूछा कि आप किसके आदेश से उक्त न्यायालय में बयान करा रहे हैं तो नवनीत कुमार शर्मा द्वारा प्रार्थी के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया। उसके द्वारा इस प्रकार के अभद्र भाषा का प्रयोग करने से मना किया गया और कहा गया कि न्यायालय के अन्दर इस प्रकार की भाषा का प्रयोग ठीक नहीं है। न्यायालय के बाहर बात करते हैं तो प्रार्थी व श्री नवनीत कुमार शर्मा वार्ता करते हुए न्यायालय के बाहर आ गये। उसने न्यायिक कार्य में कोई अवरोध नहीं किया है। न्यायाल से बाहर आकर उसने श्री नवनीत कुमार शर्मा से कहा कि भाई आपके न्यायालय में न्यायिक कार्यवाही चल रही है आप अपने न्यायालय की कार्यवाही को छोड़कर यहाँ कार्य क्यों कर रहे हैं, यदि आपको जज साहब ने न्यायिक कार्य हेतु बुलाया था तो उन्हें उनके संज्ञान में रखना चाहिए था और नियमानुसार अनुमति भी लेनी चाहिए थी। इसी बात पर श्री नवनीत शर्मा द्वारा उसकी माँ, बहन

३१.१२.१

को गाली देते हुए उसके साथ हाथा-पाई शुरू कर दी गयी। वहाँ मौजूद 2-3 अधिवक्ताओं व सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौज0) श्री अरविन्द कुमार शर्मा, श्री देवेन्द्र आदि ने उसे बचाया। श्री नवनीत कुमार शर्मा के दुर्व्यहार से बचने के लिए वह न्यायालय के अन्दर संरक्षण हेतु जाने लगा तो श्री नवनीत कुमार शर्मा उग्र होकर पीछे से उसे पुनः गाली देते हुए उसके पीछे भागे और उससे पुनः चिपट गये। उसने बचाव किया तो दोनों न्यायालय के दरवाजे पर गिर पड़े, जहाँ उसे वहाँ मौजूद लोगों न बचाया, वरना उसके जीवन के साथ कोई अप्रिय घटना हो सकती है। शेष कथनों से इन्कार करते हुए कहा गया है कि वास्तविकता यह है कि उक्त वादी द्वारा अपने विरुद्ध होने वाली प्रशासनिक कार्यवाही से बचने के लिए एवं फर्जी मेडिकल बनवाकर उसा पर अवैध दबाव बनाने के लिए न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। पूर्व में श्रीमान् जिलाधिकारी महोदय द्वारा प्रार्थना पत्र संलग्न प्रार्थना पत्र दिनांकित 25.11.2020 के आधारर पर जॉच की गयी। उक्त जॉच में भी प्रार्थी ने घटनाक्रम का विवरण लिखित व मौखिक रूप से अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) महोदय को दी गयी। प्रार्थना पत्र निरस्त होने योग्य है।

वादी श्री नवनीत कुमार शर्मा ए0डब्लू0-1 के रूप में न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर अपनी सशपथ साक्ष्य अंकित करायी है। जिसमें उनके द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में अंकित कथनों का समर्थन किया गया है।

ए0डब्लू0-2 अजय कुमार, कोर्ट मोहर्रिं, ने सशपथ साक्ष्य दी है कि घटना दिनांक 25.11.2020 की है। श्री नवनीत शर्मा ए.डी.जी.सी. वाद संख्या-717/2028 राज्य बनाम विकास अन्तर्गत धारा-376डी भा0द0सं0 एवं पाक्सो अधि0, थाना अरनियॉ में मान0 पीठासीन अधिकारी महोदय के बुलाने व उनके निर्देश पर उक्त पत्रावली में आये। साक्षी विवेचक डी0पी0सिंह हाल तैनाती की मुख्य परीक्षा दोपहर करीब सवा दो बजे करा रहे थे। इसी बीच श्री राहुल उपाध्याय डी0जी0सी0 (फौज0) न्यायालय में आये और गवाही कराने के लिए रोकने लगे कि वह इसमें गवाही न कराये। उस दिन श्री सुनील शर्मा विशेष लोक अभियोजक पाक्स0 अधि0 अवकाश पर थे, इसीलिए पीठासीन अधिकारी द्वारा पहले श्री इरशाद अली, नामिका अधिवक्ता का उसी वाद में उसी दिन उक्त विवेचक की गवाही के लिए बुलाया गया था। उनको भी डी0जी0सी0 महोदय गवाही के लिए मना करके वापस ले गये, फिर पीठासीन अधिकारी महोदय द्वारा श्री नवनीत शर्मा को गवाही के लिए बुलाया गया। गवाही के दौरान श्री राहुल उपाध्याय आ गये और श्री नवनीत शर्मा के साथ गाली-गलौज करने लगे और कहा कि वह गवाही नहीं करायेगा। आपस में दोनों उग्र वार्तालाप करने लगे। डी0जी0सी0 ने कहा कि बाहर आये, उसे मारेगा, पिटेगा, जिस पर श्री नवनीत शर्मा ने कहा कि वह बाहर आ रहा है, वह उसे मारपीट ले। न्यायालय के बाहर निकल कर श्री नवनीत शर्मा ने श्री राहुल उपाध्याय से कहा कि लें उसे मार लें, जिसपर सबसे पहले श्री राहुल उपाध्याय ने कालर पकड़ा, श्री नवनीत शर्मा हाथ पीछे कर लिये, कित्तना उसे मारना, मार लें, फिर आपस में गाली-गलौज होती रही। श्री राहुल उपाध्याय ने मारना शुरू कर दिया, जिससे वे मारपीट में न्यायालय के दरवाजे पर आकर गिर गये, जिसमें श्री नवनीत शर्मा का पेन व चश्मा टूट गया, गाल

१३.११.२१

पर चोट आयी। न्यायालय में पहले से उपस्थित अभियुक्तों के साथ आये पुलिसकर्मियों ने बचाया व श्री राहुल उपाध्याय से श्री नवनीत शर्मा को छुड़ाया व बचाया। उपरोक्त सारी घटना उसने अपनी आँखों से देखी है।

ए0डब्लू0-3 श्री विनय शर्मा एडवोकेट, ने सशपथ साक्ष्य दी है कि दिनांक 25.11.2020 को समय करीब सवा दो बजे राज्य बनाम विकास, विशेष वाद संख्या-3717/2018 धारा-376 भा0द0रां0 एवं धारा-4 पाक्सो अधिः0, थाना अरनियॉ, जिला बुलन्दशहर में साक्षी विवेचक श्री डी0पी0सिंह की मुख्य परीक्षा श्री नवनीत शर्मा ए.डी.जी.सी. द्वारा अंकित करायी जा रही थी। उस दिन न्यायालय में नियुक्त विशेष लोक अभियोजक श्री सुनील शर्मा अवकाश पर थे। उसी दौरान डी0जी0सी0 फौजदीर श्री राहुल उपाध्याय न्यायालय के अन्दर आये और श्री नवनीत शर्मा से नाराजगी वॉले कि वह कैसे न्यायालय में साक्ष्य करा रहे हैं तो श्री नवनीत शर्मा ने जवाब दिया कि विशेष लोक अभियोजक श्री सुनील शर्मा अवकाश पर हैं, इसलिए साहब ने उसे साक्ष्य अभिलिखित कराने के लिए बुलाया है। इस पर श्री राहुल उपाध्याय उत्तेजित होकर गाली-गलौज करने लगे कि वह बयान नहीं करायेगा और कहे कि बाहर चले उसे बाहर देखता है। इस पर श्री राहुल उपाध्याय ने श्री नवनीत कुमार शर्मा का गिरेबान पकड़कर न्यायालय में खींचने लगे, बचाव करने पर भी श्री राहुल उपाध्याय डी0जी0सी0 (फौज0) ने श्री नवनीत कुमार शर्मा को पहले न्यायालय के अन्दर व बाद में न्यायालय के बाहर लात घूसों से मारापीटा गम्भी कोर्ट मोहर्रिर अजय कुमार व अन्य पुलिसकर्मियों व आस-पास के लोगों ने बचाया। जाते समय श्री राहुल उपाध्याय ने श्री नवनीत शर्मा, ए.डी.जी.सी. घंटे भुगत लेने की धमकी देते हुए चले गये।

ए0डब्लू0-4 मो0 नाजिम ने सशपथ साक्ष्य दी है कि वह न्यायालय अप जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पाक्सो अधिः0) बुलन्दशहर में अर्दली के पद पर कार्यरत है। दिनांक 25.11.2020 को इसी न्यायालय में राज्य बनाम विकास की पत्रावली में बयान लिखे जा रहे थे। बाद में विवेचक के बयान लिखे जा रहे थे। न्यायालय के विशेष लोक अभियोजक श्री सुनील शर्मा के अवकाश पर होने की वहज से श्री नवनीत शर्मा-ए.डी.जी.सी. साक्ष्य अंकित करा रहे थे। लगभग 2.15 बजे डी0जी0सी0 (फौज0) श्री राहुल उपाध्याय न्यायालय में आये और श्री नवनीत शर्मा से पूछने लगे कि वह किसकी अनुमति से साक्ष्य अंकित करा रहे हैं। श्री नवनीत शर्मा ने कहा कि पीठासीन अधिकारी महोदय की अनुमति से साक्ष्य करा रहा है। श्री राहुल उपाध्याय ने कहा कि उसकी अनुमति के बिना वह कैसे बयान करा सकते हैं। इस बात को लकर दोनों में तेज आवाज में वहस हाने लगी तथा एक-दूसरे को देख लेने की बात कहते हुए दोनों न्यायालय से बाहर निकल गये। थोड़ी देर बाद एक-दूसरे से गुत्थम-गुत्थी करते न्यायालय के द्वार पर आकर गिर गये। न्यायालय के कोर्ट मोहर्रिर व अन्य पुलिसवालों ने उनका बीच-बचाव करा दिया। इसके बाद श्री राहुल उपाध्याय चले गये।

साक्षीगण उपरोक्त द्वारा दिये गये बयान के अवलोकन से विदित होता है कि श्री राहुल उपाध्याय, जिला शासकीय अधिः0 (फौज0), जनपद बुलन्दशहर ने न्यायिक कार्यवाही में बैठे हुए लोक-सेवक का साशय

15/12/21

अपमान या उनके कार्य में विघ्न डालने के उद्देश्य से उपरोक्त कृत्य किया है। अतः उनके विरुद्ध धारा-323, 504 व 228 भा०दं०सं० के अपराध का प्रसंज्ञान लेकर विधिक कार्यवाही करने का कष्ट करें। अपराध उपरोक्त की सम्पूर्ण पत्रावली विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बुलन्दशहर के समक्ष प्रस्तुत की जा रही है।

यह भी अनुरोध है कि शासकीय कार्य/न्यायिक कार्य में व्यस्तता के कारण मैं व्यक्तिगत रूप से न्यायालय के समक्ष अनुपरिथित रहूँगा।

१५.०१.२१

(वीरेन्द्र कुमार-III)
अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष
न्यायाधीश (पाक्सो अधि०),

बुलन्दशहर
आई.डी. संख्या-य.पी.-5804

दिनांक 15.01.2021

(दुर्गश यादव-स्टेनो)

१२.०१.२०२१